राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक : 17.06.2013

विज्ञप्ति

राजस्थान न्यायिक सेवा (मुख्य) प्रतियोगी परीक्षा, 2011 के जारी परिणाम दिनांक 14.06.2013 के संबंध में इस परीक्षा के नियमानुसार परीक्षा में प्राप्तांकों की पुनःगणना (Re-Totalling) कराने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार अवसर प्रदान किया जाता है :–

1. उत्तर पुस्तिकाओं में प्राप्त अंकों की पुनःगणना (Re-Totalling) हेतु सादा कागज पर प्रार्थना पत्र मय वेबसाईट से प्राप्तांको की प्रिन्ट कॉपी के आयोग के सचिव को रू. 10/– प्रति प्रश्न पत्र की दर से भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करते हुए दिनांक 10.07.2013 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।
2. दिनांक 10.07.2013 के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
3. उत्तर पुस्तिकाओं का पुनःपरीक्षण (Re-Valuation) किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।

(डॉ. के0के0 पाठक)
सचिव

प.6(6) परीक्षा 'क'/रा. न्या.से./2011–12/344 दिनांक : 17-6-13

सम्पादक,

1. दैनिक नवज्योति, राजस्थान के सभी संस्करणों हेतु
2. राजस्थान पत्रिका, राजस्थान के सभी संस्करणों हेतु
3. दैनिक भास्कर, राजस्थान के सभी संस्करणों हेतु
4. राष्ट्रदूत, राजस्थान के समस्त सम्भागीय मुख्यालयों के संस्करण हेतु

को विज्ञप्ति की प्रति भेजकर निवेदन है कि उनके समाचार पत्रों के नवीनतम दैनिक संस्करण में इसे केवल एक ही बार न्यूनतम स्पेस में सशुल्क प्रकाशित करने का श्रम करें। इन समाचार पत्रों के विज्ञापन प्रबंधकों से अनुरोध है कि प्रकाशित विज्ञापन की एक प्रति (निःशुल्क) अनुभाग अधिकारी, परीक्षा 'क' अनुभाग, राज. लोक सेवा आयोग, अजमेर को सीधे ही भेजे ताकि प्रकाशित साम्रग्री की जांच की जा सके एवं उक्त प्रकाशित विज्ञप्ति का बिल (डी0पी0आर0 की निर्धारित दरों से) सीधे ही आयोग कार्यालय को भेजे ताकि भुगतान की कार्यवाही की जा सके।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को :–

4. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को प्रति भेजते हुए निवेदन है कि उक्त सूचना अत्यन्त आवश्यक होने के कारण समस्त समाचार पत्रों में प्रसारित कराने हेतु सीधे ही भिजवाई गई है।
5. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव